मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2014-आश्विन 4, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम अभिषेक जैन पुत्र अखिलेश्वर कोठिया है जबकि उसके स्कूल अभिलेखों में उसका नाम अभिषेक कोठिया जैन पुत्र अखिलेश्वर कोठिया जैन लिखा है जो कि त्रुटिपूर्ण है. अतः आगे से स्कूल सहित सभी जगह पर हमें अभिषेक जैन पुत्र अखिलेश्वर कोठिया लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(अखिलेश्वर कोठिया जैन)

नया नाम :

(अखिलेश्वर कोठिया)
डी-136, पटेल नगर,
सिटीसेन्टर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(338-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी शादी हिन्दू रीति रिवाजानुसार दिनांक 11-3-2011 को हुई थी. शादी के पूर्व में अपना नाम मधु आर्य पुत्री श्री जयप्रकाश आर्य लिखती थी. शादी के बाद मैंने अपना नाम मधु मनकेलिया पत्नी श्री धीरज मनकेलिया रख लिया है. मुझे अब मधु मनकेलिया के नाम से ही जाना तथा पुकारा जाता है. मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेज भी मधु मनकेलिया के नाम से ही होंगे.

पुराना नाम :

(मधु आर्य)

नया नाम :

(मधु मनकेलिया)
पत्नी श्री धीरज मनकेलिया,
न्यू कॉलोनी नं. 1, क्वार्टर नं. 15,
बिरला नगर, ग्वालियर.

(333-बी.)

CHANGE OF NAME

MOHD QASIM Age-55 S/o MOHD MUSTUFA resident of H.No. 2555 Opp. Dr. Bataliya Napier town Jabalpur (MP). In my son MOHD FAHAD KHAN C.B.S.E. 10th marksheet whose roll no. is 1213975 year 2014 by mistake my name is rajestered as MOHD KOSHIN .correct name is MOHD QASIM.In my son's previos school T.C. by mistake my name is written as QASIM KHAN.

Correct name is MOHD QASIM

Old Name : New Name :

(MOHD KOSHIN/QASIM KHAN) **(MOHD QASIM)**

(332-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स संदीप प्रोडक्ट्स में नये भागीदार श्री आदित्य मोता को दिनांक 01-04-2014 को भागीदारी फर्म में प्रवेश दिया गया है. इस भागीदारी फर्म का गठन 01-4-2010 को किया गया था.

विपिन कुमार,
मैसर्स-संदीप प्रोडक्ट्स,
12, विवेकानन्द मार्ग, बघाना,
नीमच (म.प्र.).

(319-बी.)

NOTICE

This is to inform that m/s SKG Magnese Pvt. Ltd., 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi has willingly retired from the registered partnership firm m/s Nectar Mining Company , 110, Bhasin Residency, South Civil Lines, Jabalpur having registration no. 04/14/01/00253/12 wef 12/02/2013. Further three partners naming 1. Mr. Dharmesh Ghai s/o Late Shri ML Ghai, Maihar, 2. Mr. Ashu Chopra s/o Late Shri SC Chopra, Maihar & 3. Mr. Sanjay Kumar Wadhwa s/o Late Shri GR Wadhwa, Jabalpur have entered into the firm as partners vide amendments made as per the Amended Partnership Deed executed on 12/02/2013. Now the partnership firm m/s Nectar Mining Company, 110, Bhasin Residency, South Civil Lines, Jabalpur having registration no. 04/14/01/00253/12 has four partners namely:

1. Mr. Arun Chopra s/o Late Shri SC Chopra, Jabalpur
2. Mr. Dharmesh Ghai s/o Late Shri ML Ghai, Maihar
3. Mr. Ashu Chopra s/o Late Shri SC Chopra, Maihar
4. Mr. Sanjay Kumar Wadhwa s/o Late Shri GR Wadhwa, Jabalpur

For :- Nectar Mining Company, Jabalpur
ARUN CHOPRA,
(Partner).

(331-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स कुशल गुरू कंस्ट्रक्शन, नरसिंहगढ़ जिसका पंजीयन नंबर 302/95-96, दिनांक 29-9-1995 है, उक्त फर्म में 01-09-2014 से पार्टनर (1) पारसमल मेहता पिता सजनमल मेहता (2) प्रभात कुमार मेहता पिता स्व. श्री प्रकाश चंद मेहता फर्म से भागीदारी खत्म कर रहे हैं एवं दिनांक 01-09-2014 से (1) श्रीमती मोहनबाई पति सजनमल मेहता (पुत्री फूलचंद लुनिया) (2) श्रीमती किरण मेहता पति पारसमल मेहता (पुत्री अमरचंद झाबक) नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं.

भविष्य में फर्म में निम्न भागीदार होंगे (1) सजनमल मेहता पिता चौथमल मेहता (2) दिलीप कुमार मेहता पिता सजनमल मेहता (3) मोहनबाई पति सजनमल मेहता , (4) किरण मेहता पति पारसमल मेहता.

सर्व सूचित हों.

दिलीप मेहता,
(पार्टनर),
वास्ते—मैसर्स कुशल गुरू कंस्ट्रक्शन,
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.).

(334-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. नाकोडा मीटर्स, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 396/96-97, दिनांक 26-11-1996 है, इसमें से पार्टनर प्रवीण कुमार मेहता पिता श्री मिश्रीलाल मेहता, नरसिंहगढ़ 26-11-2013 को रिटायर हो गये हैं एवं श्रीमती कीर्ति मेहता पिता श्री हेमंत कुमारजी श्रीमाल, निवासी—बड़ा बाजार, नरसिंहगढ़ दिनांक 26-11-2013 को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं. अब भविष्य में फर्म का संचालन प्रदीप कुमार मेहता पिता श्री मिश्रीलाल मेहता एवं श्रीमती कीर्ति मेहता पिता श्री हेमंत श्रीमाल करेंगे.

सर्वविदित हों.

प्रदीप मेहता,
(पार्टनर),
वास्ते—नाकोडा मीटर्स,
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.).

(335-बी.)

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार फर्म मैसर्स रघुवीर प्रसाद शर्मा, भिण्ड द्वारा पार्टनर्स श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री वृन्दावन प्रसाद शर्मा, निवासी वाटर वर्क्स रोड, भिण्ड, म. प्र. एवं श्री संजय शर्मा पुत्र श्री रघुवीर शर्मा, निवासी भरौली रोड, भिण्ड, म. प्र. की ओर से एवं उनके निर्देशानुसार सर्व-साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारी उक्त पार्टनरशिप फर्म के भागीदारों द्वारा दिनांक 1-12-2006 से उक्त फर्म से साझेदारी विलेख-पत्र दिनांक 8-12-2006 एवं दिनांक 17-01-2007 को निष्पादन दिनांक के अनुसार उक्त फर्म में पार्टनर श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा (पार्टनर क्रमांक 3) श्री रविन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री बदन सिंह तोमर (पार्टनर क्रमांक 4), श्री रामलखन शर्मा पुत्र श्री रूपराम शर्मा (पार्टनर क्रमांक 5) को उक्त पार्टनरशिप फर्म में भागीदार के रूप में संयोजित किया गया था किन्तु उक्त व्यक्तियों द्वारा दिनांक 29-8-2014 को मेरे पक्षकार की उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छानुसार अपने आप को अपना हिसाब-किताब कर सभी भागीदारों की सहमति से अलग कर लिया गया है. अब उक्त फर्म में मात्र मेरे पक्षकारगण क्रमांक 1 व 2 ही एकमात्र स्वत्व, स्वामित्व एवं भागीदार हैं, उक्त तीनों पार्टनर्स क्रमांक 3 लगायत 5 का दिनांक 2-9-2014 को अपने आप को स्वयं पार्टनरशिप फर्म से अभिखण्डित कर लिये जाने के कारण, उक्त व्यक्तियों का मेरे पक्षकारगण की उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है. मेरे पक्षकारगण के उक्त फर्म के नाम से व्यवसाय करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं. उक्त फर्म का रजि. क्र. 02/43/07/00139/07 है.

अतः सर्व-साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण के अलावा मैसर्स रघुवीर प्रसाद शर्मा, भिण्ड फर्म के नाम से कोई संव्यवहार न करें. यदि कोई व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय उपरोक्त व्यक्तियों से उक्त फर्म के नाम से कोई संव्यवहार करती है या किसी अन्य के माध्यम से कराती है तो वह मेरे पक्षकारगण की फर्म के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होगा एवं ऐसे संव्यवहार की जिम्मेदारी उस व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय की स्वयं की होगी. ऐसा अवगत हो.

देशराज भार्गव,
(एडवोकेट),
ऑफिस—एस/8, रॉयल प्लाजा, पुराने हाईकोर्ट के सामने,
लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.)

(336-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जमील खान, स्थित म. नं. 668, रेस्ट हाऊस के पास, नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र.) में दिनांक 27-04-2009 से श्री उदयवीर सिंह भदौरिया पुत्र श्री छोटे सिंह भदौरिया, निवासी नवादाबाग, महेन्द्र नगर, भिण्ड (म. प्र.) एवं जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भोगीराम शर्मा, निवासी नवादाबाग, महेन्द्र नगर, भिण्ड (म. प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

जमील खान,
मैसर्स-जमील खान,
668, रेस्ट हाऊस के पास, नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.).
द्वारा-सुनील कुमार जैन (सी. ए.)
सांई अपार्टमेंट, द्वितीय फ्लोर, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(337-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. बालचन्द्र जैन, कोठी चौराहा के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, म. प्र. में हम तीन पार्टनर श्री बालचन्द्र जैन तनय श्री दयाचन्द्र जैन, सुनील कुमार जैन तनय श्री बालचन्द्र जैन एवं सुशील कुमार जैन तनय श्री बालचन्द्र जैन थे. दिनांक 10-02-2007 को पार्टनर श्री बालचन्द्र जैन का निधन हो जाने के पश्चात् हम दो पार्टनर सुनील कुमार जैन तनय श्री बालचन्द्र जैन एवं सुशील कुमार जैन तनय श्री बालचन्द्र जैन बराबर की भागीदारी से अपनी फर्म का संचालन कर रहे हैं. इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो कृपया 15 दिन के अंदर हमारे कार्यालय कोठी के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, म. प्र. में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

सुशील जैन,
(पार्टनर),
मे. बालचन्द्र जैन, नौगांव.

(339-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कैलाश प्रिंटिंग प्रेस, भोपाल, पंजीयन क्रमांक 335/77-78 के प्रकरण में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11-10-2013 में प्रकाशित आम सूचना के स्थान पर निम्नानुसार आम सूचना का पढ़ा जावे :—

उक्त फर्म में वर्ष 1993 में क्रमशः श्री शिवनारायण सुहाने, श्रीमती उमादेवी सुहाने, श्री कैलाश नारायण सुहाने, श्री श्रीराम सुहाने एवं श्रीमती सुशीला देवी सुहाने कुल 5 भागीदार थे. वर्ष 2006 में फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए दिनांक 1-4-2006 से 3 भागीदार क्रमशः श्री आशीष सुहाने, श्रीमती निधि सुहाने, श्रीमती श्रद्धा सुहाने सम्मिलित हुए, इस प्रकार वर्ष 2006 में फर्म में कुल 8 भागीदार हो गये. तत्पश्चात् वर्ष 2013 में उक्त 8 भागीदारों में से क्रमशः श्री शिवनारायण सुहाने, श्रीमती सुशीला देवी सुहाने, श्रीमती निधि सुहाने एवं श्रीराम सुहाने उक्त फर्म से दिनांक 31-3-2013 को रिटायर हुये, जिनका फर्म से अब किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है. फर्म के नाम से किसी प्रकार का संव्यवहार उक्त व्यक्तियों से न किया जावे एवं अगर किया जाता है तो फर्म का कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा. दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से क्रमशः श्री मनीष सुहाने एवं श्रीमती पायल सुहाने फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं. उक्त परिवर्तन के बाद फर्म में अब क्रमशः श्री कैलाश नारायण सुहाने, श्रीमती उमा देवी सुहाने, श्री आशीष सुहाने, श्री मनीष सुहाने, श्रीमती पायल सुहाने एवं श्रीमती श्रद्धा सुहाने कुल 6 भागीदार हैं. उपरोक्त परिवर्तन के साथ ही फर्म के पते में भी दिनांक 1-4-2013 से परिवर्तन करते हुए फर्म का नया पता 145-बी, सेक्टर-एच, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल किया गया है.

आशीष सुहाने,
(पार्टनर),
वास्ते-मैसर्स कैलाश प्रिंटिंग प्रेस,
145-बी, सेक्टर-एच, गोविन्दपुरा, इंडस्ट्रीयल एरिया,
भोपाल (मध्यप्रदेश).

(340-बी.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि मैसर्स प्राइम कंस्ट्रक्शन, शाहपुरा, भोपाल. जिसका फर्म पंजीयन नं. 21, जिसकी भागीदारी रजिस्ट्री दिनांक 19 मई, 1999 को हुई थी. जिसमें से पूर्ण भागीदार श्री रमेश बी. वृन्दावनी आत्मज श्री बी. डी. वृन्दावनी दिनांक 31-03-2009 से अलग हो गए हैं.

शैलेश साहू,
(कर सलाहकार).

(341-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

प्र. क्र. 2/बी-113/ए/13-14.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्रीमती सुशीला शुक्ला पति स्व. विनय कुमार शुक्ला, निवासी—517, मढ़ाताल, जबलपुर के द्वारा श्रीमति भगवती बाई शिव मंदिर ट्रस्ट

के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण, लोक न्यास का नाम और पता)

1.	लोक न्यास का नाम	:	श्रीमती भगवती बाई, शिव मंदिर ट्रस्ट, मढाताल, जबलपुर.
2.	चल सम्पत्ति	:	कुछ नहीं.
3.	अचल सम्पत्ति	:	तहसील जबलपुर स्थिति नगर निगम सीमा अन्तर्गत, मढाताल वार्ड स्थित मकान नं. 57/1, 517/1 ए, 517/2, 517/3, 517/4, 517/4ए, 517/4बी, 517/4 सी, 517/5, 517/6, 517/7, 517/8, 517/11, 517/11ए, 517/5ए.

नेहा माख्या,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(758)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 02/बी-113/2013-14.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि " हनुमान जी खेड़ापति मंदिर ट्रस्ट" ग्राम चौपड़ा कलां ब्लाक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से श्री देशराज मीना, अध्यक्ष, श्री हनुमान जी खेड़ापति मंदिर ट्रस्ट, रामनगर कॉलोनी, ग्राम चौपड़ा कलां, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें. अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	श्री देशराज मीना, अध्यक्ष, श्री हनुमान जी खेड़ापति मंदिर ट्रस्ट, रामनगर कॉलोनी, ग्राम चौपड़ा कलां, तहसील हुजूर, भोपाल.
चल सम्पत्ति	:	..
अचल सम्पत्ति	:	..

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

माया अवस्थी,
रजिस्ट्रार.

(759)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री धरणीधर पार्श्वनाथ श्वेताम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट कार्यालय 8, बजाज खाना चौक, इन्दौर की ओर श्री पुण्डरीक पिता भेरूलाल पालरेचा, निवासी 43, अग्रसेन नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री धरणीधर पार्श्वनाथ श्वेताम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	8, बजाज खाना चौक, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 29 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(760)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री माहेश्वरी जन कल्याण ट्रस्ट, कार्यालय 2, ए. बी. रोड, इन्दौर की ओर श्री रामेश्वरलाल असावा, निवासी 5, माँ दुर्गा नगर, नवलखा के पास, इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं श्री भरत सारड़ा 21/4, रतलाम कोठी, मेनरोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री माहेश्वरी जन कल्याण ट्रस्ट.
कार्यालय	:	2, ए. बी. रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 29 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(760-A)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, हरदा, जिला हरदा

जारी दिनांक 05 सितम्बर, 2014

रा. प्र.क्र. 01/बी-113(4)/2013-14.

ग्राम—हरदाखास.

1. श्री जयसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत, निवासी हरदा एवं अन्य 1
2. डॉ. श्री विनय सिंह मौर्य पिता स्व. ठाकुर गुलाबसिंह मौर्य, निवासी हरदा एवं अन्य 10

बनाम

मध्यप्रदेश शासन.

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) देखिये]

श्री जयसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह मौर्य एवं अन्य 2, निवासी इंदिरा गाँधी वार्ड, हरदा की ओर से एक आवेदन-पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2014 को एवं आवेदकगण डॉ. विनयसिंह मौर्य पिता स्व. गुलाबसिंह मौर्य, निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी, हरदा एवं अन्य 10 की ओर से एक अन्य आवेदन-पत्र दिनांक 23 जुलाई, 2014 को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास की तरह श्री सिद्धिदात्री खेतवाली माता मंदिर ट्रस्ट के पंजीकरण एवं विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये निवेदन किया गया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दें, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, हरदा, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति के इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री सिद्धिदात्री खेतवाली माता मंदिर ट्रस्ट, हरदा महाराणा प्रताप कॉलोनी, हरदा (मध्यप्रदेश) पोस्ट हरदा-461 331
2. चल सम्पत्ति	:	(अ) बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, हरदा के बचत खाता में जमा रुपये 85,997/- (ब) पूजा अर्चना एवं सार्वजनिक आयोजनों में उपयोग के लिये उपकरण मूल्य रुपये 1,20,000/-
3. अचल संपत्ति	:	(क) न्यासकर्ता श्रीमती सुशीला रानी मौर्य द्वारा प्रदत्त परिवर्तित भूमि खसरा नंबर 190/2, 190/5, 190/6, 191/1, 191/2 एवं 191/3 स्थित मौजा हरदाखास में से भू-खण्ड क्षेत्रफल 3200 वर्गफुट और उसमें निर्मित 1600 वर्गफीट का माता मंदिर जिसके चारों ओर सड़क है. मूल्य रुपये 30.00 लाख (तीस लाख मात्र).
4. इस न्यास की प्रकृति	:	धार्मिक एवं परमार्थिक.
5. इस न्यास का उद्देश्य	:	खेतवाली माता मंदिर की व्यवस्था करना, मंदिर में निरन्तर पूजा-पाठ व धार्मिक आयोजन करना.
6. स्थल जहाँ कि न्यास का मुख्य कार्यालय है.	:	महाराणा प्रताप कॉलोनी, हरदा.

यह अधिसूचना मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. सोलंकी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(761)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
पंचबालयति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :- 17, ए. सी. स्कीम नं. 54, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2910.—पंचबालयति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./953, दिनांक 19 मार्च, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 18 फरवरी, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंचबालयति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
कनक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :- 227, तिलक पथ, 30, राजवाड़ा इन्दौर.

क्र./परि./2014/2911.—कनक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./508, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कनक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-A)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :- बड़ी ग्वालटोली, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2912.—विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./251, दिनांक 13 मई, 1980 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-B)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
ओम पारदेश्वराय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :- 324, बजरंग नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2913.—ओम पारदेश्वराय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./682,

दिनांक 01 जुलाई, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 06 फरवरी, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ओम पारदेश्वराय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-C)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

दि सेन्ट्रल एक्साईज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.

(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता :- माणिक बाग रोड़, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2914.—दि सेन्ट्रल एक्साईज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./65, दिनांक 03 जुलाई, 1964 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 01 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दि सेन्ट्रल एक्साईज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-D)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
शुभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :-401, लेटेस्ट आपर्टमेंट, कल्पना लोक नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2915.—शुभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./775, दिनांक 05 जून, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शुभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-E)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
पार्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :-564, एम. जी. रोड़, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2916.—पार्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./686, दिनांक 11 जुलाई, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पार्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-F)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
सुख सम्पदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :-27/2, रेसकार्स रोड़, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2917.—सुख सम्पदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./644, दिनांक 08 नवम्बर, 1996 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुख सम्पदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-G)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
मधुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :-383, विष्णु एनेक्स, विष्णुपुरी, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2918.—मधुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./806,

दिनांक 01 मई, 2001 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मधुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-H)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
कल्पका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :-51, द्रविड़ नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2919.—कल्पका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./403, दिनांक 16 अप्रैल, 1985 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कल्पका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-I)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
श्याम बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :- 43, श्याम श्रद्धानंद मार्ग, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2920.—श्याम बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./889, दिनांक 17 अप्रैल, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्याम बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-J)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
पायोधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :- 15/1, लोधीपुरा, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2921.—पायोधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./714, दिनांक 19 दिसम्बर, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पायोधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-K)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
बसंल (ग्रुप) गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :- 575/5 एम. जी. रोड़, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2922.—बसंल (ग्रुप) गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./923, दिनांक 15 सितम्बर, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था अध्यक्ष द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 20 मई, 2012 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बसंल (ग्रुप) गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-L)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता :- 1065, छोटा बाजार, महू.

क्र./परि./2014/2923.—प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./534,

दिनांक 30 अगस्त, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 21 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-M)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

श्री लक्ष्मीपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.

(द्वारा अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता :- 31, शिवविलास पेलेस, राजवाड़ा, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2924.—श्री लक्ष्मीपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./232, दिनांक 21 जून, 1979 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री लक्ष्मीपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-N)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सिद्धि विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.

पता— 88, कसेरा बाजार, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2925.—सिद्धि विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर., जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./666, दिनांक 27 मार्च, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति हो चुकी है और कोई कार्य शेष नहीं है.

संस्था के अध्यक्ष द्वारा भी लिखित में पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिद्धि विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1, 2, 3) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-O)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

पद्मालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.

पता— 153, यशवंत निवास रोड, कसेरा बाजार, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2926.—पद्मालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर., जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./667, दिनांक 01 मार्च, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति हो चुकी है और कोई कार्य शेष नहीं है.

संस्था के अध्यक्ष द्वारा भी लिखित में पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पद्मालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र

के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1, 2, 3) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-P)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.

पता— 36-ए, वीणा नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2929.—पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./757, दिनांक 30 जुलाई, 1998 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति हो चुकी है.

संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा भी लिखित में पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1, 2, 3) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-Q)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2927.—यह कि इन्दौर सोशल ग्रुप सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./066, दिनांक 04 मई, 1991 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से संस्था परिसमापन में होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/2013/1871, दिनांक 14 जून, 2013 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं संशोधित आदेश से धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक रिकार्ड की स्थिति की पुष्टि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर एवं पंजीयन कक्ष के माध्यम से करायी गयी. पुष्टि से स्पष्ट होता है कि संस्था का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं कार्यालय हस्तकरघा, इन्दौर के प्रमुख सहायक संचालक द्वारा संलग्न सूची की शासकीय देनदारी न होने की पुष्टि कर सूची कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियॉं/देनदारियॉं का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन्दौर सोशल ग्रुप सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./066, दिनांक 04 मई, 1991 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत इन्दौर सोशल ग्रुप सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./066, दिनांक 04 मई, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(753)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2928.—यह कि स्वर सागर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1923, दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से संस्था परिसमापन में होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/2013/1871, दिनांक 14 जून, 2013 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं संशोधित आदेश से धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक रिकार्ड की स्थिति की पुष्टि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर एवं पंजीयन कक्ष के माध्यम से करायी गयी. पुष्टि से स्पष्ट होता है कि संस्था का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं कार्यालय हस्तकरघा, इन्दौर के प्रमुख सहायक संचालक द्वारा संलग्न सूची की शासकीय देनदारी न होने की पुष्टि कर सूची कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियॉं/देनदारियॉं का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि स्वर सागर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1923, दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत स्वर सागर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1923, दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(753-A)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2930.—यह कि मॉं कैलादेवी सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./2025, दिनांक ..... को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से संस्था परिसमापन में होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/2013/1871, दिनांक 14 जून, 2013 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं संशोधित आदेश से धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक रिकार्ड की स्थिति की पुष्टि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर एवं पंजीयन कक्ष के

माध्यम से करायी गयी. पुष्टि से स्पष्ट होता है कि संस्था का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं कार्यालय हस्तकरघा, इन्दौर के प्रमुख सहायक संचालक द्वारा संलग्न सूची की शासकीय देनदारी न होने की पुष्टि कर सूची कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियॉं/देनदारियॉं का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मॉं कैलादेवी सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./2025, दिनांक ..... का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत मॉं कैलादेवी सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./2025, दिनांक ..... का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(753-B)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2931.—यह कि झुग्गी बस्ती महिला सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1824, दिनांक 18 मार्च, 1997 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से संस्था परिसमापन में होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/2013/1871, दिनांक 14 जून, 2013 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं संशोधित आदेश से धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक रिकार्ड की स्थिति की पुष्टि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर एवं पंजीयन कक्ष के माध्यम से करायी गयी. पुष्टि से स्पष्ट होता है कि संस्था का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं कार्यालय हस्तकरघा, इन्दौर के प्रमुख सहायक संचालक द्वारा संलग्न सूची की शासकीय देनदारी न होने की पुष्टि कर सूची कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियॉं/देनदारियॉं का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि झुग्गी बस्ती महिला सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1824, दिनांक 18 मार्च, 1997 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत झुग्गी बस्ती महिला सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1824, दिनांक 18 मार्च, 1997 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(753-C)

इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2932.—यह कि युवा नेहरू सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1366, दिनांक 20 फरवरी, 1996 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से संस्था परिसमापन में होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/2013/1871, दिनांक 14 जून, 2013 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं संशोधित आदेश से धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री ए. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक रिकार्ड की स्थिति की पुष्टि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर एवं पंजीयन कक्ष के माध्यम से करायी गयी. पुष्टि से स्पष्ट होता है कि संस्था का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं कार्यालय हस्तकरघा, इन्दौर के प्रमुख सहायक संचालक द्वारा संलग्न सूची की शासकीय देनदारी न होने की पुष्टि कर सूची कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियॉं/देनदारियॉं का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि युवा नेहरू सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1366, दिनांक 20 फरवरी, 1996 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत युवा नेहरू सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./1366, दिनांक 20 फरवरी, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(753-D)

इन्दौर, दिनांक 01 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

महाशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था,

मर्या., इन्दौर.

(द्वारा अध्यक्ष)

पता:- 21, गणेश कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2014/2614.—महाशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./457, दिनांक 26 सितम्बर, 1987 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था अध्यक्ष द्वारा दिये गये अपने पत्र दिनांक 28 जुलाई, 2014 से अवगत कराया है कि वर्तमान में संस्था के पास कोई भूमि/भू-खण्ड शेष नहीं है. संस्था के सदस्यों द्वारा अपनी जमा प्लाट मनी एवं अंशपूँजी वापस मांगी जा रही है एवं व संस्था के सदस्य नहीं बने रहना चाहते हैं. इस संबंध में संस्था की वार्षिक आमसभा दिनांक 30 मार्च, 2010 एवं 29 मार्च, 2011 में भी यह निर्णय लिया गया था.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है. संस्था इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महाशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1)(2)(3) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(772)

इन्दौर, दिनांक 11 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1),(2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2723.—यह कि महाशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./457, दिनांक 26 सितम्बर, 1987 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति पूर्ण हो गयी है. इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मूलचंद अग्रवाल द्वारा कार्यालय को दिनांक 28 जुलाई, 2014 को पत्र प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया. आवेदन में उल्लेख किया गया कि संस्था का गठन जिस उद्देश्य के लिये किया गया था उसकी पूर्ति पूर्ण हो चुकी है. संलग्न आवेदन में संस्था के सदस्यों द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2014 को संस्था के पंजीयन निरस्ती हेतु लिखा गया था. सदस्यों के आवेदन पर संस्था के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2010 एवं 29 मार्च, 2011 को साधारण सभा आयोजित की गयी जिसमें सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि संस्था के गठन के उद्देश्य पूर्ण होने, संस्था द्वारा भविष्य में कोई और कार्य करने की योजना नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही संकल्प पारित किया गया है. वर्तमान में संस्था में 09 सदस्य हैं. उक्त संबंध में कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/2614, दिनांक 01 अगस्त, 2014 को जारी किया गया. इसके संबंध में संस्था द्वारा अपने उत्तर में कथन संस्था के समस्त सदस्यों के स्वीकृति से निम्नांकित किये गये:—

1. संस्था महाशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, पंजीयन क्र. 457, दिनांक 26 दिसम्बर, 1987, पता:- 21, गणेश कॉलोनी, रामबाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत है.

2. संस्था द्वारा सभी भू-खण्ड पात्र सदस्यों को आवंटित कर पंजीयन विलेख निष्पादित विगत तीन वर्ष पूर्व किये जा चुके हैं, वर्तमान में कोई भू-खण्ड शेष नहीं है. चूंकि आगामी कोई भी उद्देश्य न होने से इसके संचालन को बनाये रखने में सदस्यों की भी कोई रुचि नहीं है. इस संबंध में शपथ-पत्र भी संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति पूर्ण हो गयी है एवं भविष्य में कोई और कार्य करने की योजना नहीं होने से संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./457, दिनांक 26 सितम्बर, 1987 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत श्री के. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18(ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 11 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(772-A)

इन्दौर, दिनांक 11 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2724.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, सोलसिंदा सावेर, पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 04 मई, 1977 को आदेश क्रमांक 10580, दिनांक 01 दिसम्बर, 1978 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय गंगवाल, विस्तार पर्यवेक्षक, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को परिसमापक बनाया गया.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी. सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था में दुग्ध भुगतान की समस्या, पशु ऋण समस्या एवं कम दुग्ध संकलन के कारण संस्था बंद हो गयी थी, अब निजी व्यापारियों के शोषण से मुक्त होने एवं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये संस्था को पुर्नजीवित किया जाये, परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक के आवेदन अनुसार संस्था के गावों में ग्रामसभा आयोजित की गयी एवं संस्था को परिसमापन से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया. जोकि संस्था के सदस्यों द्वारा भी पारित किया गया था. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुर्नजीवित किया जाये.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित सोलसिंदा सावेर, पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 04 मई, 1977 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री बी.एल. मण्डलावदिया, पर्यवेक्षक, इन्दौर, सहकारी दुग्ध संघ मर्यादितर, इन्दौर को संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ और उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 11 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त.

(772-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 25 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1283.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार, दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठडा, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1142, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुन: प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी " वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठडा, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार, दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कामीन, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1257, दिनांक 23 सितम्बर, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुन: प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी " वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कामीन, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एल. पंवार, दुग्ध विस्तार पर्यवेक्षक, क्षेत्र धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुराडाखाल, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 24 नवम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी " वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुराडाखाल, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणदा, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी " वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणदा, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एल. पंवार, दुग्ध विस्तार पर्यवेक्षक, क्षेत्र धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाकालपुरा, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1148, दिनांक 28 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी " वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध

उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाकालपुरा, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सातत्तलाई, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी '' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सातत्तलाई, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामला, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1147, दिनांक 28 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी '' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामला, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिंगवा, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1122, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से

परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी '' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिंगवा, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटावद, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 29 मार्च, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुन: प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी '' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटावद, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एल. पंवार, दुग्ध विस्तार पर्यवेक्षक, क्षेत्र धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(754-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014-15/1034, धार दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दाबड, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1130, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नीयत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बन्द दर्शाकर पुन: प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी '' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दाबड, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(754-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री अशोक महाजन, अध्यक्ष,

श्रीनाथ साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्रीनाथ साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-श्रीनाथ साख सहकारी मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 07 जून, 2001 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1705, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री शैलेश जैन, अध्यक्ष,

अरहिन्त आफसेट सहकारिता प्रेस, नुतन नगर खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

अरहिन्त आफसेट सहकारिता प्रेस, नुतन नगर खरगोन (संशोधित नाम-अरहिन्त आफसेट सहकारी प्रेस, नुतन नगर खरगोन,)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1708, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-A)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री रमेशचन्द्र शर्मा, अध्यक्ष,

माँ रेवा सहकारिता मुद्रणालय, मर्या., बडवाह,

तहसील-बडवाह, जिला-खरगोन.

माँ रेवा सहकारिता मुद्रणालय, मर्या., बडवाह (संशोधित नाम-माँ रेवा सहकारी मुद्रणालय, मर्या., बडवाह)तहसील-बडवाह, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 18 मार्च, 2002 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1710, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-B)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री शंकरलाल पाटीदार, अध्यक्ष,

माँ अम्बिका बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

माँ अम्बिका बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., खरगोन (संशोधित नाम-माँ अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी मर्या., खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 23 अगस्त, 2002 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1713, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-C)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री रायसिंह फत्तु, अध्यक्ष,

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., खरगोन (संशोधित नाम-अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 12 सितम्बर, 2002 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1715, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-D)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री भागीरथ पटेल, अध्यक्ष,

श्री संत सिंगाजी साख सहकारिता मर्या., खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्री संत सिंगाजी साख सहकारिता मर्या., खरगोन, (संशोधित नाम-श्री संत सिंगाजी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 18, दिनांक 04 मार्च, 2003 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1721, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-E)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री निलेश कृष्णलाल, अध्यक्ष,

डाकोरजी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

डाकोरजी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-डाकोरजी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन,

जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 28 अगस्त, 2003 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1730, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-F)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति सारिता अशोक महाजन, अध्यक्ष,

गोकुलदास साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

गोकुलदास साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-गोकुलदास साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 11 अगस्त, 2003 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1728, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-G)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति कांता सोनी, अध्यक्ष,

मातृशक्ति साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

मातृशक्ति साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-मातृशक्ति साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 01 सितम्बर, 2003 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1731, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-H)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमती कांता सोनी, अध्यक्ष,

प्रियदर्शिनी साख सहकारिता मर्यादित, बडवाह,

तहसील-बडवाह, जिला-खरगोन:

प्रियदर्शिनी साख सहकारिता मर्यादित, बडवाह, (संशोधित नाम-प्रियदर्शिनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह)तहसील-बडवाह, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 29, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1732, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-I)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री प्रितेश उत्तमचन्द्र जैन, अध्यक्ष,

सलोनी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

राधा वल्लभ मार्केट, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

सलोनी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-सलोनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 25 नवम्बर, 2003 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1738, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-J)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री श्याम बाबुलाल महाजन, अध्यक्ष,

श्री द्वारिका साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

राधा वल्लभ मार्केट, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्री द्वारिका साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-श्री द्वारिका साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 03 दिसम्बर, 2003 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1739, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे

केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-K)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

कु. गायत्री मूलचन्द, अध्यक्ष,

लक्ष्मी महिला साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

दांगी मोहल्ला, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

लक्ष्मी महिला साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-लक्ष्मी महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1743, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-L)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति पार्वतीबाई गुप्ता, अध्यक्ष,

नर्मदा महिला ग्रामोद्योग साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

2-अग्रवाल काम्पलेक्स, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

नर्मदा महिला ग्रामोद्योग साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-नर्मदा महिला ग्रामोद्योग साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 13 फरवरी, 2004 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1747, दिनांक 13 फरवरी, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-M)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री ताराचन्द पटेल, अध्यक्ष,

बजरंग साख सहकारिता मर्यादित, कुण्डिया, पोस्ट-ठिबगांव,

तहसील-गोगावां, जिला-खरगोन.

बजरंग साख सहकारिता मर्यादित, कुण्डिया, पोस्ट-ठिबगांव, (संशोधित नाम-बजरंग साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डिया, पोस्ट-ठिबगांव) तहसील-गोगावां जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 13 फरवरी, 2004 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1748, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-N)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री चन्द्रशेखर दुबे, अध्यक्ष,

साख सहकारिता मर्यादित,धुलकोट,

तहसील-भगवानपुरा, जिला-खरगोन.

साख सहकारिता मर्यादित,धुलकोट, (संशोधित नाम-साख सहकारी संस्था मर्यादित,धुलकोट)तहसील-भगवानपुरा, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 51, दिनांक 17 जून, 2004 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1753, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-O)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री जयेश तेजसिंह, अध्यक्ष,

श्री लक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्री लक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन,

जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 18 नवम्बर, 2004 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1760, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-P)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति सकुबाई भगवान, अध्यक्ष,

अनुसूचित जाति एवं जनजाति साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

राधा वल्लभ मार्केट, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-अनुसूचित जाति एवं जनजाति साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 60, दिनांक 11 जनवरी, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1762, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-Q)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री रमेश मंडलोई, अध्यक्ष,

आदिवासी कर्मचारी कल्याण साख सहकारिता मर्या., खरगोन

शिवशक्ति नगर, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

आदिवासी कर्मचारी कल्याण साख सहकारिता मर्या., खरगोन, (संशोधित नाम-आदिवासी कर्मचारी कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 76, दिनांक 01 जुलाई, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1778, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-R)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री अमरीश विरेन्द्रसिंह दांगी, अध्यक्ष,

श्री सिद्धीविनायक क्रेडिट को. ऑपरेटिव्य, सोसा. लि. खरगोन,

पोस्ट-ऑफिस चौराहा, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्री सिद्धीविनायक क्रेडिट को. ऑपरेटिव्य, सोसा. लि. खरगोन, (संशोधित नाम-श्री सिद्धीविनायक क्रेडिट को. ऑपरेटिव्य, सोसा. लि. खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 67, दिनांक 10 मार्च, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1769, दिनांक 10 मार्च, 2014) है

जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए,

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-S)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री नितिन जगदीश, अध्यक्ष,

श्रीनाथ साख सहकारिता मर्यादित, महेश्वर,

भगतसिंह मार्ग, महेश्वर.

तहसील-महेश्वर, जिला-खरगोन.

श्रीनाथ साख सहकारिता मर्यादित, महेश्वर, (संशोधित नाम-श्रीनाथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, महेश्वर)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 78, दिनांक 07 जुलाई, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1780, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए,

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-T)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री अजय कैलाशचन्द्र, अध्यक्ष,

संस्कार साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

बाहेती टावर, जवाहर मार्ग, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

संस्कार साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-संस्कार साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 12 जुलाई, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1781, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-U)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री दिलीप रामकिशन, अध्यक्ष,

पूर्णानंद साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

राधा वल्लभ मार्केट, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

पूर्णानंद साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-पूर्णानंद साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 81, दिनांक 19 जुलाई, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1783, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-V)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री मस्तराम दगडू, अध्यक्ष,

कृष्णा साख सहकारिता मर्यादित, सोनखेडी,

पोस्ट-चैनपुर, तहसील झिरन्या.

तहसील-झिरन्या, जिला-खरगोन.

कृष्णा साख सहकारिता मर्यादित, सोनखेडी, (संशोधित नाम-कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोनखेडी)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 82, दिनांक 19 जुलाई, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1784, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-W)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री विराट बाबुलाल, अध्यक्ष,

श्रद्धा साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

सनावद रोड, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्रद्धा साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-श्रद्धा साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-झिरन्या, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 83, दिनांक 19 जुलाई, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1784, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-X)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमति वर्षा मनोज, अध्यक्ष,

श्रीराम साख सहकारिंता मर्यादित, खरगोन,

डायर्वशन रोड, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्रीराम साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-श्रीराम साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 84, दिनांक22 जुलाई, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1784, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-Y)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री जसपालसिंह भाटिया, अध्यक्ष,

महालक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, बडवाह,

कंवर कॉलोनी, बडवाह.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

महालक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित,)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 88, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1790, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(755-Z)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री गणेश वर्मा, अध्यक्ष,

राजश्री साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

दाता हनुमान के सामने, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

राजश्री साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन (संशोधित नाम-राजश्री साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 91, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1793, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(756)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री मुकेश कुमार, अध्यक्ष,

श्री आर. बी. बी. साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,

औरंगपुरा, जिला पंचायत के पीछे, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्री आर. बी. बी. साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन (संशोधित नाम-श्री आर. बी. बी. साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन,)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 92, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1794, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(756-A)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री ब्रजेश आनंदराम गुप्ता, अध्यक्ष,

मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी साख सहकारिता, मर्या., भीकनगांव,

विद्युत मण्डल, कार्यालय भीकनगांव.

तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन.

मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी साख सहकारिता, मर्या., भीकनगांव (संशोधित नाम-मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी साख सहकारी संस्था, मर्या., भीकनगांव,) तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 94, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1796, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(756-B)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री प्रवीण बालकृष्ण, अध्यक्ष,

केशव माधव स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., खरगोन,

एम. जी. रोड, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

केशव माधव स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., खरगोन (संशोधित नाम-केशव माधव स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन)तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 97, दिनांक 30 जनवरी, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1799, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(756-C)

खरगोन, दिनांक 01 सितम्बर, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री रितेश दामोदर महाजन, अध्यक्ष,

दि. वेस्ट निमाड क्रेडिट को. आपरेटिव्ह सोसा. लि., खरगोन,

85, रामपेठ मोहल्ला, खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

दि. वेस्ट निमाड क्रेडिट को. आपरेटिव्ह सोसा. लि., खरगोन (संशोधित नाम-दि. वेस्ट निमाड क्रेडिट को. आपरेटिव्ह सोसा. लि., खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 98, दिनांक 07 मार्च, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1800, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(756-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्रीमती आराधना रविन्द्र, अध्यक्ष,

धनश्री साख सहकारिता मर्या., खरगोन,

30, बाहेती टावर, जवाहर मार्ग खरगोन.

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

धनश्री साख सहकारिता मर्या., खरगोन, (संशोधित नाम-धनश्री साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 102, दिनांक 23 मार्च, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1804, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक .

(756-E)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विप./बीज/संघ/14/139, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा अकार्यशील बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील बनाने एवं अकार्यशील संस्थाओं को परिसमापन में लाने के निर्देश दिये गये थे.

उक्त निर्देशों के पालन में जिले की अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी तथा तारादेवी किसान क्रय-विक्रय बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., विलहरी (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया) को भी बैठक में आहूत किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिये संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि./2014/815, दिनांक 22 मई, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर जवाब/उत्तर चाहा था तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजा गया था किन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. ना ही कोई उपस्थित हुआ है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है एवं संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा अकार्यशील है. अतः ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, तारादेवी किसान क्रय-विक्रय बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., विलहरी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763)

छतरपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विप./बीज/संघ/14/139, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा अकार्यशील बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील बनाने एवं अकार्यशील संस्थाओं को परिसमापन में लाने के निर्देश दिये गये थे.

उक्त निर्देशों के पालन में जिले की अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी तथा आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौगाँव (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया) को भी बैठक में आहूत किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिये संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि./2014/885, दिनांक 30 मई, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर जवाब/उत्तर चाहा था तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजा गया था किन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. ना ही कोई उपस्थित हुआ तथा रजिटर्ड डाक वापिस प्राप्त हो गई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है एवं संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा अकार्यशील है. अतः ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौगाँव को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763-A)

छतरपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विप./बीज/संघ/14/139, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा अकार्यशील बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील बनाने एवं अकार्यशील संस्थाओं को परिसमापन में लाने के निर्देश दिये गये थे.

उक्त निर्देशों के पालन में जिले की अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी तथा अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., गंज (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया) को भी बैठक में आहूत किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिये संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि./2014/819, दिनांक 22 मई, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर जवाब/उत्तर चाहा था तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजा गया था किन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. ना ही कोई उपस्थित हुआ है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है एवं संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा अकार्यशील है. अत: ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., गंज को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एस. के. बुधौलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763-B)

छतरपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विप./बीज/संघ/14/139, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा अकार्यशील बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील बनाने एवं अकार्यशील संस्थाओं को परिसमापन में लाने के निर्देश दिये गये थे.

उक्त निर्देशों के पालन में जिले की अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी तथा श्री सिद्धेश्वर बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., राजनगर (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया) को भी बैठक में आहूत किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिये संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि./2014/812, दिनांक 22 मई, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर जवाब/उत्तर चाहा था तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजा गया था किन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. ना ही कोई उपस्थित हुआ तथा रजिटर्ड डाक वापिस प्राप्त हो गई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है एवं संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा अकार्यशील है. अत: ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, श्री सिद्धेश्वर बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., राजनगर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एस. के. बुधौलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763-C)

छतरपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विप./बीज/संघ/14/139, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा अकार्यशील बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील बनाने एवं अकार्यशील संस्थाओं को परिसमापन में लाने के निर्देश दिये गये थे.

उक्त निर्देशों के पालन में जिले की अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी तथा श्री साँई बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., कर्री (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया) को भी बैठक में आहूत किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिये संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि./2014/818, दिनांक 22 मई, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर जवाब/उत्तर चाहा था तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजा गया था किन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. ना ही कोई उपस्थित हुआ है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है एवं संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा अकार्यशील है. अतः ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, श्री साँई बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., कर्री को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763-D)

छतरपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विप./बीज/संघ/14/139, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा अकार्यशील बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील बनाने एवं अकार्यशील संस्थाओं को परिसमापन में लाने के निर्देश दिये गये थे.

उक्त निर्देशों के पालन में जिले की अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी तथा श्री कृष्णा बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रजपुरा (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया) को भी बैठक में आहूत किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिये संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि./2014/820, दिनांक 22 मई, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर जवाब/उत्तर चाहा था तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजा गया था किन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. ना ही कोई उपस्थित हुआ है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है एवं संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा अकार्यशील है. अतः ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, श्री कृष्णा बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रजपुरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763-E)

छतरपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विप./बीज/संघ/14/139, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा अकार्यशील बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील बनाने एवं अकार्यशील संस्थाओं को परिसमापन में लाने के निर्देश दिये गये थे.

उक्त निर्देशों के पालन में जिले की अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी तथा माँ शारदा क्रय-विक्रय बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., बारीगढ़ (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया) को भी बैठक में आहूत किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिये संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि./2014/816, दिनांक 22 मई, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर जवाब/उत्तर चाहा था तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजा

गया था किन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. ना ही कोई उपस्थित हुआ है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है एवं संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा अकार्यशील है. अत: ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, माँ शारदा क्रय-विक्रय बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., बारीगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री के. एल. विश्वकर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763-F)

छतरपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विप./बीज/संघ/14/139, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा अकार्यशील बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील बनाने एवं अकार्यशील संस्थाओं को परिसमापन में लाने के निर्देश दिये गये थे.

उक्त निर्देशों के पालन में जिले की अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी तथा खजुराहो बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारिता मर्या., चन्द्रपुरा (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया) को भी बैठक में आहूत किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिये संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि./2014/817, दिनांक 22 मई, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर जवाब/उत्तर चाहा था तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना-पत्र भेजा गया था किन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. ना ही कोई उपस्थित हुआ तथा रजिटर्ड डाक वापिस प्राप्त हो गई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है एवं संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा अकार्यशील है. अत: ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, खजुराहो बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारिता मर्या., चन्द्रपुरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री यू. डी. पांचाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763-G)

छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

क्र./परि./विधि/2014/1491.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./विधि./2/2014/75, दिनांक 11 जुलाई, 2014 के द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., धामची (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को आबंटित भूमि शासन को वापस करने के सम्बन्ध में तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये थे. संस्था प्रशासक द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 28 जुलाई, 2014 के द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था.

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/2014/1308, दिनांक 28 जुलाई, 2014 के द्वारा संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के अन्दर उत्तर चाहा गया था किन्तु आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 तक संस्था की तरफ से कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन किया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को कुछ नहीं कहना है तथा वे प्रस्वावित कार्यवाही से सहमत है.

अत: ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., धामची को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(763-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

द्वारा—प्रशासक

अंजनी प्राथमिक उप. सह.भण्डार मर्या., चन्दला.

कार्यलीयन आदेश क्रमांक/विधि/2014/1187, दिनांक 08 जुलाई, 2014 द्वारा श्री के. एल. विश्वकर्मा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी लौडी को अंजनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला का प्रशासक नियुक्त किया गया था.

श्री विश्वकर्मा द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2014 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2014 को उक्त भण्डार का पदभार ग्रहण कर लिया था किन्तु उन्हें संस्था का कोई रिकार्ड चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ तथा संस्था की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है जिससे संस्था स्वयं की पूंजी से व्यवसाय चलाने में असमर्थ है एवं संस्था की सदस्यता सूची उपलब्ध ना होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव निर्वाचन प्राधिकारी को प्रेषित नही हो पा रहा है. उक्त कारणों से प्रशासक द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2014 को संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नही कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अगस्त,2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(763-I)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चंबल संभाग, मुरैना

मुरैना, दिनांक 22 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/1055.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 1308, दिनांक 08 अगस्त, 2014 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था पिछड़ा वर्ग मछुआ मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., काजीबसई, तहसील मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1189, दिनांक 25 जून, 2002 है. संस्था को कोई जलाशय आवंटन नहीं है ना ही संस्था द्वारा मछली उत्पादन का कार्य किया जा रहा है. संस्था निष्क्रीय एवं अकार्यशील है ना ही किसी भी प्रकार का लेन-देन किया जा रहा है का उल्लेख है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था पिछड़ा वर्ग मछुआ मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., काजीबसई, तहसील मुरैना, के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 28 अगस्त, 2014 को

अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(764)

मुरैना, दिनांक 22 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/1056.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 1308, दिनांक 08 अगस्त, 2014 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था तिलहन उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., दोहरी, तहसील अम्बाह, जिसका पंजीयन क्रमांक 655, दिनांक 30 मार्च, 1987 है. संस्था उप-विधि क्रमांक 3.1.1 से 3.1.7 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है. साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रीय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था तिलहन उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., दोहरी, तहसील अम्बाह, के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 28 अगस्त, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(764-A)

मुरैना, दिनांक 22 अगस्त, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/1057.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 1308, दिनांक 08 अगस्त, 2014 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था तिलहन उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., रछेड़, तहसील अम्बाह, जिसका पंजीयन क्रमांक 677, दिनांक 06 अप्रैल, 1987 है. संस्था उप-विधि क्रमांक 3.1.1 से 3.1.7 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है. साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रीय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था तिलहन उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., रछेड़, तहसील अम्बाह के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 28 अगस्त, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अभय कुमार खरे,
संयुक्त-पंजीयक .

(764-B)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कोलारस.	394/10-07-1992	1820/05-12-2013	श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 12 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(765)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	भारत महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	509/13-03-2005	104/10-02-2009	श्री व्ही. डी. अग्रवाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 12 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(765-A)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	सर्वोदय प्रथामिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खनियाधाना.	286/21-04-1986	1657/08-11-2013	श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 12 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(765-B)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2007/1111, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, सलैया डामरौन का परिसमापक श्री जगदीश भील, सहकारी निरीक्षक उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि श्री भील के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री जगदीश भील के स्थान पर श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(765-C)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2007/1110, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, सिल्लारपुर का परिसमापक श्री जगदीश भील, सहकारी निरीक्षक उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि श्री भील के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री जगदीश भील के स्थान पर श्री यू. सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(765-D)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2007/1098, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्यादित, कठेंगरा का परिसमापक श्री जगदीश भील, सहकारी निरीक्षक उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि श्री भील के अन्यत्र

स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री जगदीश भील के स्थान पर श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(765-E)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2007/1106, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, कुम्हरौआ का परिसमापक श्री जगदीश भील, सहकारी निरीक्षक उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि श्री भील के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री जगदीश भील के स्थान पर श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(765-F)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2007/1105, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, ढिंगबास का परिसमापक श्री एच. पी. गोयल, उप-अंकेक्षक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवुपरी को नियुक्त किया गया था. यह कि श्री गोयल के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री एच. पी. गोयल के स्थान पर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(765-G)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2007/1100, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, साबौली का परिसमापक श्री एच. पी. गोयल, उप-अंकेक्षक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवुपरी को नियुक्त किया गया था. यह कि श्री गोयल के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री एच. पी. गोयल के स्थान पर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(765-H)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

इंदिरा गांधी गृ. नि. सहकारी समिति मर्या., सागर,

द्वारा —अध्यक्ष इंदिरा गांधी गृ. नि. सहकारी समिति मर्या., सागर.

वि.ख. सागर, जिला सागर.

इंदिरा गांधी गृ. नि. सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयनक क्रमांक 25, दिनांक 03 जुलाई, 1971

(जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में संस्था के पारित अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, तथा ''डी '' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है इससे स्पष्ट है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 तथा संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है अर्थात् जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था अक्षम रही है. जिसके लिये सहकारी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए/क) के अंतर्गत दोषी है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्देश देता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(766)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

संचालक मण्डल,

सागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर,

द्वारा —अध्यक्ष सागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर.

वि.ख. सागर, जिला सागर.

सागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.ख. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 02 नवम्बर, 1961 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में संस्था के पारित अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा ''डी '' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है संस्था द्वारा वर्ष 1997 से निर्वाचन नहीं कराये गये. इससे स्पष्ट है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 तथा संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है अर्थात् जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था अक्षम रही है. जिसके लिये सहकारी अधिनियम की धारा-69 (2) (ए/क) के अंतर्गत दोषी है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्देश देता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

संजय नायक,
उप-पंजीयक.

(766-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

जयदुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., रायपुरिया, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजयीन क्रमांक 435, दिनांक 21 सितम्बर, 1987 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1787/2013, दिनांक 01 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

जयदुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., रायपुरिया, के श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक व परिसमापक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक मत्स्य महासंघ, शाखा गांधीसागर के पत्र क्रमांक-879/म.म.स./तक./2014-15, दिनांक 20 अगस्त, 2014 द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अत: मैं, भारतसिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए. जयदुर्गा मत्स्य साख सहकारी संस्था मर्या., रायपुरिया, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परिसमापन/1787/13, दिनांक 01 फरवरी, 2013 को निरस्त करते हुए इस शर्त पर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य प्रारम्भ करे. संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है:—

श्री मोहनलाल पिता रतललाल	अध्यक्ष
श्री बंशीलाल पिता केशुराम	सदस्य
श्री राधेश्याम पिता पूनमचन्द	सदस्य
श्री राजू पिता मोतीलाल	सदस्य
श्री अनिल जैन (सह. निरी.)	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 08 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(767)

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कोटाड़ाखुर्द, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-795, दिनांक 20 फरवरी, 1995 है, को कार्यालयीन आदेश क्र.-1452, दिनांक 28 सितम्बर,2004 एवं संशोधित क्रमांक/परिसमापन/159/2008, दिनांक 30 जनवरी, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. एस. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कोटाड़ाखुर्द, के श्री व्ही. एस. मालवीय, सहकारी निरीक्षक व परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का आस्तिव में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अत: मैं, भारतसिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए. दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कोटाड़ाखुर्द, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/ परिसमापन/1452/2004, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 व क्रमांक-159, दिनांक 30 जनवरी, 2008 को निरस्त करते हुए इस शर्त पर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य प्रारम्भ करे. संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है:—

श्री चन्दरसिंह पिता नाथूसिंह	अध्यक्ष
श्री बाबुलाल पिता नाथुलाल जैन	सदस्य
श्री मो. ईशाक पिता वली मोहम्मद	सदस्य
श्रीमति जतनबाई पति किशनलाल	सदस्य
श्री व्ही. एस. मालवीय (सह. निरी.)	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 08 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(767-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 22 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/Q1.—सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक/परिसमापक/2014/410, राजगढ़, दिनांक 06 मई, 2014 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे

पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम सहकारी संस्थाएं	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	पं. दीनदयाल सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़	548/04-12-1991	410/06-05-2014

अत: मैं, श्रीमती निशीबाला शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

निशीबाला शर्मा,

(768) परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 22 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/Q1.—सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक/परिसमापक/2014/408, राजगढ़, दिनांक 06 मई, 2014 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम सहकारी संस्थाएं	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	65/27-12-1988	408/06-05-2014

अत: मैं, पुरूषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

पुरूषोत्तम शर्मा,

(769) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल

कार्यालय आदेश क्रमांक/विप/ते.प्र./2013/1805, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या., भोपाल को परिसमापन में लाया जाकर श्री प्रकाश खरे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7 (13)/2014/1-7/स्था-3, दिनांक 05 अगस्त, 2014 द्वारा श्री प्रकाश खरे, संयुक्त पंजीयक के उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.

अत: कार्यालय आदेश क्रमांक/विप/ते.प्र./1805, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री प्रकाश खरे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल के स्थान पर श्री एस. एन. कोरी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या., भोपाल का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2014 को मेरे नाम एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनीष श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(770)

कार्यालय परिसमापक, अम्बिका फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, बैजापुरं, तहसील गोगावां, जिला खरगोन

दिनांक 01 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

अम्बिका फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, बैजापुर, तहसील गोगावां, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1510, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/761, खरगोन, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गोगावां एवं परिसमापक अम्बिका फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, बैजापुर, तहसील गोगावां, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(771)

कार्यालय परिसमापक, बलिया जलाशय मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बलिया, तहसील बडवाह, जिला खरगोन

दिनांक 01 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

बलिया जलाशय मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बलिया, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1395, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 है, को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/761, खरगोन, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बडवाह एवं परिसमापक बलिया जलाशय मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बलिया, तहसील बडवाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(771-A)

कार्यालय परिसमापक, एकता मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बामनपुरी, तहसील बडवाह, जिला खरगोन

दिनांक 01 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

एकता मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बामनपुरी, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1438, दिनांक 11 अगस्त, 2005 है, को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/761, खरगोन, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बडवाह एवं परिसमापक एकता मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बामनपुरी, तहसील बडवाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(771-B)

कार्यालय परिसमापक, जय माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जिरभार, तहसहल बडवाह, जिला खरगोन

दिनांक 01 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

जय माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जिरभार, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1484, दिनांक 23 मई, 2006 है, को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/761, खरगोन, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बडवाह एवं परिसमापक जय माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जिरभार, तहसील बडवाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

मनोहर वास्कले,

(771-C) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

आदर्श मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., बड़ासलूनिया का पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 30 मार्च, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407-10, झाबुआ, दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदर्श मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ासलूनिया को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एल. सोलंकी, (A.O.) को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है.

(774-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

माँ नर्मदा मुद्रणालय एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1035, दिनांक 19 मार्च, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407-03, झाबुआ, दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत माँ नर्मदा मुद्रणालय एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय सोलंकी, (C..I.) को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है.

(774-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

जिला पारिवारिक गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 07 जुलाई, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407-12, झाबुआ, दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जिला पारिवारिक गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, (C..I.) को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है.

बबलू सातनकर,

(774-O) उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2014-आश्विन 4, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 मई, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर, टीकमगढ़, पन्ना, मंदसौर, मण्डला जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर (ग्वालियर), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), पन्ना (पन्ना), मंदसौर (मंदसौर), विछिया, मण्डला (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला सागर, शहडोल, मंदसौर, झाबुआ, खरगौन, सीहोर, बैतूल, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला हरदा में फसल मूँग की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया, भोपाल, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28 मई, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	4.0		4. (1) गन्ना, मूंगमोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गैहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

o

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	3.0				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	4.0		गेहूँ, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		(2) . .		
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) उड़द, मूंग, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		कम. अरहर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		तिवड़ा समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	2.0				
6. शामगढ	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
***जिला आगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बडौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	. .	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		गेहूँ, मसूर, जौ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) . .		
4. पागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा					
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूं, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. . .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूंगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		राई-सरसों.		
4. खरगौन	. .		(2) . .		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूं, चना, मसूर, अलसी, लाख	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) मूंगमोठ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. मूंग की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसल बिगड़ी हुई..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, मटर	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .		चना .		
4. गोटेगांव	. .		(2) . .		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूं, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	11.3		अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	4.8				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		मसूर, अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) मक्का, धान, मूँग, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, अशोकनगर, सतना, आगर, बड़वानी, खण्डवा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(762)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.